



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.

विधि/N.G.T./रूपील सं०-०८/२०२२

Date:

20/4/22

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.: COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 11.03.2022 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI IN APPEAL NO. 08/2022 IN RE: ANAND DUPLEX LIMITED VERSUS UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Sir,

That in compliance of the order dated 11.03.2022 passed by this Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Appeal No. 08/2022, In Re: Anand Duplex Limited Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board, the reply of appeal is attached herewith and forwarded to you with the request that the same may place before the Hon'ble Tribunal.

Therefore, the Reply Affidavit on behalf of the Respondent is attached herewith for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely,


(Ajeet Kumar Suman)

Environmental Engineer (Cess)

Copy to:

1. Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Law Officer-I, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

(Ajeet Kumar Suman)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL, BENCH,
NEW DELHI



APPEAL NO. 8 OF 2022

IN THE MATTER OF:

ANAND DUPLEX LIMITED (UNIT-2)

..... APPELLANT

VERSUS

ASSESSING AUTHORITY WATER CESS
(Uttar Pradesh Pollution Control Board)

..... RESPONDENT

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT

I, Ajeet Kumar Suman, S/o Late Bali Ram Vimal, aged about 47 years, Environmental Engineer-Cess, presently posted at U.P. Pollution Control Board, T.C. 12-V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and declare on oath as under:-

1. That I, in the above noted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent to swear this affidavit.
2. That the deponent has read and understood the contents mentioned in the above noted appeal and documents, and at the outset of this reply I deny each and every averment of fact made in the Appeal under reply save and except those which are admitted by me superficially hereinafter.
3. That before giving parawise reply the replying Respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to place the following preliminary submissions:

(a) That the Appellant has filed the present Appeal under Section 16(d) of National Green Tribunal Act, 2010.

(b) The Appellant has filed an appeal under section 13 of the cess act 1977 before the Appellate Committee and Hon'ble Committee had decided the appeal no. 05/2000 and provided partial relief to the



20/4/2022

AK
Suman

appellant. The Committee has directed to U. P. Pollution Control Board to re-assess the assessment by taking water consumption 100KL/Ton production basis.

(c) The appellant, M/s Anand Duplex Unit, has informed that they have started operation in Sept. 1995. The first Cess assessment was done from 29.09.1995 to 30.04.1999. On perusal of records, it was found that appellant has provided the wrong information that production started on 29.09.1995 whether it was May 1995 as informed in the assessment reports provided by the Appellants. Hence the Cess payment is due from May 1995 to 28.09.1995 with all type of interest and other penalty. True copy of Cess assessment reports dated 14.10.2017 and 31.12.2016 are being enclosed herewith and marked as **Annexure No.- R/1**

(d) That before 22.06.2015 the production capacity of Appellant i.e. Anand Duplex Unit-II was 50 ton per day. However, the unit has enhanced the capacity for which CTE was issued on 22.04.2015 for increase of capacity from 50 ton per day to 200 ton per day with some specific conditions.

(e) The Industry has already deposited the assessed amount vide order 30.01.210, Which was due to clerical mistake adjusted in its Unit-I. This fact was accepted in the reply of already decided by the respondent Board in the Cess appeal no. 05/2021 on order dated 10.12.2021.

(f) That the inspection of the unit-II of the Appellant by Respondent was done on 14.10.2017 wherein it has been found that :-


(1) At present production capacity of the Appellant is 200 tons per day.

(2) There are two tube-wells having capacity of 50 HP each.

(3) During inspection dated 14.10.2017, it was stated by the representative of the unit that one tube-well is used in this unit-II and other tube-well used by unit-I also. True copy of the said Cess verification reports dated 14.10.2017 is being enclosed herewith and marked as **Annexure No.- R/2**

(4) Water meters were installed on the tube-wells but they were not sealed.

(5) Calibration certificate for the installed water meters were not submitted.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(6) The logbook of the tube-well was not provided at the time of inspection.

(7) Unit was directed to submit the production data upto 30.06.2017.

(8) It was also found that on water recirculation line, meter was not installed.

(g) That again a notice for assessment was sent by Respondent Board on dated 05.06.2017 U/s 6 of Cess Act to the Appellant. It is hereby submitted that no proof or evidence of the compliance of the charter for water recycling and pollution prevention in pulp and paper industries year 2015 was submitted to the board as informed by the Appellant vide its letter dated 12.06.2012 and Appellant continued to use the water in the process at the rate of 100 KL per MT of paper production as earlier. True copy of Respondent Board Notice dated 05.06.2017 and Appellant letter dated 12.06.2017 are being enclosed herewith and marked as **Annexure No.- R/3.**

(h) That it appears that Appellant has only given the production figures that to upto January 2017.

(i) That they were not submitting monthly Cess returns after 2011 on prescribed Performa of Cess Act 1977, thus not complying U/s- 5 of the said Act.

(j) The production data provided by Appellant duly signed by excise department and production data annexed with Appeal No. 8 of 2022 from duration June 2012 to March 2014

This shows that the Appellant is habitual of hiding the facts as mentioned earlier with regard to the date of production, water supply to Unit-I and difference in production data.

(k) That against the assessment order dated 15.03.2021 the Appellant has filed Appeal No. 5 of 2021 before the Chairman, Cess Appellate Committee, Lucknow wherein the replying Respondent has filed objections against the said Appeal contrary to the facts mentioned in the appeal.

(l) That thus there is no force in the Appeal preferred by the Appellant and the same is liable to be rejected.



AK
Swan

PARAWISE REPLY:

1. That the contents of Para 1 are matter of record and nothing contrary to record is admitted.
2. That in reply to the contents of Para 2 it is submitted that the order passed by the Appellate Authority is justified and no interference therein is called for.

REPLY TO BRIEF FACTS OF THE CASE.

- 4-8. That the contents of Paras 4 to 8 are matter of record hence need no comments.
9. That in reply to the contents of Para 9 it is submitted that the meters installed in the Appellant's premises were neither sealed properly nor the calculation certificate has been produced. Hence the replying Respondent has to make assessment as per the provisions of the Cess Act 1977.
- 10-12. That the contents of Paras 10 to 12 are matter of record, hence need no reply.
13. That the contents of Para 13 are wrong hence denied. Further it is submitted that the calibration certificate has been not produced by the Appellant.
14. That in reply to the contents of Para 14 it is submitted that meters were installed on the tube-well but as per inspection report neither the meters were sealed nor the calibration certificate has been produced at the time of inspection.
15. That the contents of Para 15 are not true as stated, hence denied. Further it is submitted that neither the calibration certificate has been produced by the Appellant nor produced the log book at the time of inspection.



AK
Suman

- 16. That the contents of Para 16 are wrong hence denied. As stated herein above Appellant has only submitted the production data and not the water consumption as alleged.
- 17. That the contents of Para 17 are wrong, hence denied. As per the inspection, Conditions of charter were not fully complied by the Appellant.
- 18. That in reply to the contents of Para 18 it is submitted that the Appellants were not fully complying with the conditions of charter for water recycling and pollution prevention in pulp and paper industries, hence cannot take any benefit of the said charter.
- 19. That the grounds of challenge are argumentative in nature and will be replied at the time of hearing.
- 20. That the contents of Para 20 are wrong hence denied. Replying Respondent craves leave to urge necessary submissions at the time of hearing.
- 21. That contents of Para 21 are wrong hence denied.
- 22. That the contents of Para 22 need no comments.
- 23. That the prayer clause is wrong hence denied. The Appellant is not entitled for any relief.

In view of aforesaid facts and circumstances Appeal under reply is liable to be dismissed.

AKO
22/4/2022

AK
Swam
DEPONENT



VERIFICATION:

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed there from.

VERIFIED ON THIS THE DAY OF APRIL, 2022.

NOTARY.COM
Govt. of Uttar Pradesh
S. KUMAR
Adv. & Notary, India
Reg. No. - 0091/91

Sworn & Verified Before Me

AK
Swam
DEPONENT

22/4/2022

SK
Swam
DEPONENT



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

(अ) जल उपकरण के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा दिये गये आंकड़े

1. उद्योग का नाम एवं पूर्ण पता :- आनन्द ड्युप्लेक्स लिमिटेड - यूनिट - II, रौंटी मेरठ
2. निरीक्षणकर्ता का नाम व पद :- एस० आर० मोहन सहपाठक पर्यावरण अभियंता
3. (क) निरीक्षण की तिथि :- 14.10.17
(ख) निरीक्षण के समय उपस्थित उद्योग के प्रतिनिधि का नाम व पद :- पवन कुमार शर्मा
5. उद्योग में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि :- May 1995
6. वर्ष में उत्पादन की अवधि (माह) (नाम का उल्लेख करें) :- From April to March
30 days
7. कार्य दिवस प्रत्येक माह :- 30 days
8. (क) उद्योग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या :- सीजन में 135 आफ सीजन में NA
(ख) उद्योग परिसर में निवास करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या :- सीजन में 20 आफ सीजन में N.A.
(ग) उद्योग में कालोनी में निवास करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या :- सीजन में 20 आफ सीजन में N.A.
9. (क) उद्योग की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन/प्रतिवर्ष (टन में) :- 200 MT/DAY
(ख) मुख्य उत्पाद प्रति माह (टन में) :- DUPLEX BOARD 200 MT/Day
(ग) सह उत्पाद प्रतिमाह (टन में) :- NIL
(आबकारी विभाग से सत्यापित उत्पादन आंकड़े संलग्न करें)
- (घ) प्रयुक्त कच्चे माल का विवरण :- WASTE PAPER
- (ङ) उद्योग में स्थापित ब्यायलरों की संख्या व प्रत्येक की क्षमता :- NIL
- (च) उद्योग में प्रशीतलन हेतु कूलिंग टावरों के रिसर्कुलेशन पम्पो की संख्या व प्रत्येक की क्षमता कि०ली०/घंटा में :-

(2)

उद्योग परिसर में आवासीय / कालोनी

10. जल आपूर्ति के स्रोतों का विवरण उद्योग में

(क) नलकूपों की संख्या

2 1 + 1 (standby) L.

(ख) पम्प की दक्षता (प्रतिशत में)

90

(ग) विसर्जन दर कि०ली० / घंटा

125 KL

(घ) अश्व शक्ति

50 HP

(ङ) कुल शीर्ष

85 m

(च) पम्प संचालन का समय / प्रतिदिन

16 hrs

(छ) लागबुक यदि हो तो (छाया प्रति)

(ज) सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी (CGWA)

Yes

की अनुमति प्राप्त है अथवा नहीं

यदि हाँ तो कितने कि०ली० / दिन जल निष्कर्षण हेतु प्राप्त है। 2100 लि० ली

(प्राप्त अनुमति की छाया प्रति संलग्न करें)

11. (क) जलमापक यंत्रों की संख्या

1 + 1 (standby)

(ख) जलमापक यंत्र मानकों के अनुरूप है

हाँ (संलग्न है)

अथवा नहीं (यदि हाँ तो प्रमाण संलग्न करें)

(ग) जल मापक यंत्र का पाठ्यांक

58590 2. (standby 5801)

(घ) उचित स्थान पर स्थापित है अथवा नहीं

हाँ

(रेखाचित्र संलग्न करें)

(ङ) जल सहमति प्राप्त है अथवा नहीं।

हाँ

(i) यदि हाँ तो कब तक वैध है।

31/12/17

(ii) जल सहमति कितने किलो लीटर / दिन

1500 लि० ली / दिन

उत्प्राह के निस्तारण हेतु निर्गत है।

(च) अन्य

नहीं

उपरोक्त सूचनाओं के सत्यापन
में उद्योग प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
(ह०) उद्योग प्रतिनिधि
सील -



4493/14
16-1-17

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

Phone & Fax : 0121-2577676
Email : romeerut@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No.

1231/ESS-9/2017

दिनांक 9/1/17
Dated

11-1-17
h h h (245)

सेवा में,

उपकर अधिकारी(उपकर-1)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ ।

विषय:- मै० आनंद इल्लोस सि० (एफिल II) मेरठ की जल उपकर सत्यापन संबंधी निरीक्षण आख्या ।
महोदय,

उक्त उद्योग का उपरोक्त विषयक निरीक्षण दिनांक-31/12/2016 को इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया । निरीक्षण आख्या संस्तुति एवं समस्त संलग्नको सहित आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार,

भवदीय

ARE/MD
18/1/17

18-1-17

Atullesh Yadav
(अतुलेश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

(1)

क्षेत्रीय कार्यालय : पाकेट-टी, सी-3/2, पल्लवपुरम, फेज-2, मोदीपुरम, मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए. सी. -12, वी. विमति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010 (उ०प्र०)

मै० आन्सद इन्ड्रेस्स (पि० (धरि १७) भुगतान) जनपद-मेरठ की जल उपकर सत्यापन संबंधी निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं/अभ्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-३.११.१६ को उद्योग प्रतिनिधि श्री पी० जे० शर्मा पद-सामान्य ए०-७४ की उपस्थिति में किया गया। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मुख्यतः रूडी कागज आदि का प्रयोग करके इन्ड्रेस्स का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। इकाई द्वारा जलापूर्ति उद्योग में स्थापित निजी द्यूबवैलों से की जाती है। निरीक्षण के समय इकाई में दो (२) मशीन ५० हाट पावर द्यूबवैल स्थापित थे। इकाई में स्थापित नलकूपों की क्षमता, प्रकार, दक्षता एवं कुल जल शीर्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। स्थापित नलकूपों की स्थिति पूर्ववत है। इकाई द्वारा माह जून २०१३ से माह अक्टूबर २०१६ तक के उत्पादन - आंकड़े प्राप्त कराये गये हैं जो संलग्न है। इकाई की पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक- १०२४/सेवा दिनांक- २२/०९/१४ के द्वारा जल उपकर सत्यापन आख्या बोर्ड मुख्यालय, प्रेषित की जा चुकी है एवं अंतिम जल उपकर बीजक के भुगतान की स्थिति मुख्यालय में उपलब्ध है। इकाई में नलकूपों पर जल मापक यंत्र बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में स्थापित किये गये हैं/नहीं किये गये हैं।

- ① उद्योग में स्थापित दोन नलकूप पर वॉल मीटर स्थापित किए गए हैं जो कि सही नहीं हैं। नली स्थापित नलकूप पर वॉल मीटर का बेली प्रदान कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- ② उद्योग द्वारा वॉल मीटर के पाठकों कोर करने हेतु वनस्पि सभी जाग बुक निरीक्षण के लक्षण प्रस्तुत नहीं की गयी।
- ③ उद्योग द्वारा बुकीडल इणक्वाइ की आधिंक रूप ले प्रविष्टि में प्रक उद्योग की नलकूपों (कंपि) कि एर वॉल मीटर नहीं लगाया गया है।
- ④ उद्योग द्वारा माह जून २०१३ से माह अक्टूबर २०१६ तक उत्पादन आंकड़े उपलब्ध प्रिजेंट हैं।
- ⑤ उद्योग में विद्युत कि पावर की आपूर्ति सहकारी मै इन्ड्रेस्स बोर्ड वि० से की जाती है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व प्रेषित आख्या/उत्पादन आंकड़ों अथवा मुख्यालय स्तर पर पूर्व निर्धारित दर जो भी अधिक हो, के आधार पर इकाई का माह जून २०१३ से माह अक्टूबर २०१६ तक की १.१.१६ अवधि हेतु जल उपकर निर्धारण उपकर अधिनियम की अधिसूची २ प्रस्तर ३ के अंतर्गत उपकर दर धारा २ (ए) के अंतर्गत किये जाने की संस्तुति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार,

(वैज्ञानिक सहायक) (सहा० पर्या० अभियंता)

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, Atul Singh Yadav.

(2)

10. जल आपूर्ति के स्रोतों का विवरण उद्योग में

उद्योग परिसर में आवासीय/कालोनी

(क) नलकूपों की संख्या

2

(ख) पम्पों की दक्षता (प्रतिशत में)

90%

(ग) विसर्जन दर कि०ली०/घंटा

125 KL

(घ) जल शक्ति

50 HP

(ङ) जल शीघ्र

35 MT

(च) पाद-संयोजन का समय/प्रतिदिन

16 HRS

(ज) लोडिंग यदि हो तो (छाया प्रति)

(झ) सन्दल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी (CGWA)

की अनुमति प्राप्त है अथवा नहीं

यदि हाँ तो कितने कि०ली०/दिन जल निष्कर्षण हेतु प्राप्त है।

(झ) अनुमति की शर्तों परी संलग्न करें।

Applied For

11. (क) जलसंग्रहक यंत्रों की संख्या

2

(ख) जलसंग्रहक यंत्र मानकों के अनुरूप हैं

yes

अथवा नहीं (यदि हाँ तो प्रमाण संलग्न करें)

(ग) जल संग्रहक यंत्रों का पाद-संग्रह

① - 00425, ② - 38339 on 20/12/16
yes

(घ) जल संग्रहक यंत्रों का रखरखाव है अथवा नहीं

(यदि हाँ तो प्रमाण संलग्न करें)

Applied For.

(ङ) जल सहनशीलता प्राप्त है अथवा नहीं।

(i) यदि हाँ तो कब तक वैध है।

(ii) जल सहनशीलता कितने किलो लीटर/दिन

उत्प्रेषण के निस्तारण हेतु निर्गत है।

(च) अन्य

Signature

आयुक्त, जल संयंत्रों के रखरखाव
के विभाग, दिल्ली
(10) जल संयंत्रों के रखरखाव
शील -

1959/202-9) 2018

19/11/18

सेवा में,

उपकर अधिकारी(उपकर-1)
उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ ।


विषय:-मै० आनंद डुप्लेक्स लि०, यूनिट-2, ग्राम सैनी, मवाना रोड, मेरठ की जल उपकर सत्यापन संबंधी निरीक्षण आख्या ।

महोदय,

उक्त उद्योग का उपरोक्त विषयक निरीक्षण दिनांक-14/10/2017 को इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया । निरीक्षण आख्या संस्तुति एवं समस्त संलग्नको सहित आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार,

भवदीय


(आर०के०त्यागी)
क्षेत्रीय अधिकारी





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

(अ) जल उपकरण के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा दिये गये आंकड़े

1. उद्योग का नाम एवं पूर्ण पता :- आनन्द ड्युप्लेक्स लिमिटेड - यूनिट - II, खे-आ में
2. निरीक्षणकर्ता का नाम व पद :- एस० आर० मोघा सहितक पर्यावरण अधिकारी
3. (क) निरीक्षण की तिथि :- 14.10.17
(ख) निरीक्षण के समय उपस्थित उद्योग के प्रतिनिधि का नाम व पद :- पवन कुमार शर्मा
5. उद्योग में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि :- May 1995
6. वर्ष में उत्पादन की अवधि (माह) (नाम का उल्लेख करें) :- From April to March
7. कार्य दिवस प्रत्येक माह :- 30 days
8. (क) उद्योग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या :- सीजन में 135 आफ सीजन में NA
- (ख) उद्योग परिसर में निवास करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या :- सीजन में 20 आफ सीजन में N.A
- (ग) उद्योग में कालोनी में निवास करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या :- सीजन में 20 आफ सीजन में N.A
9. (क) उद्योग की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन/प्रतिवर्ष (टन में) :- 200 MT/DAY
- (ख) मुख्य उत्पाद प्रति माह (टन में) :- DUPLEX BOARD 200 MT/Day
- (ग) सह उत्पाद प्रतिमाह (टन में) :- NIL
- (आबकारी विभाग से सत्यापित उत्पादन आंकड़े संलग्न करें)
- (घ) प्रयुक्त कच्चे माल का विवरण :- WASTE PAPER
- (ङ) उद्योग में स्थापित ब्यायलरों की संख्या व प्रत्येक की क्षमता :- NIL
- (च) उद्योग में प्रशीतलन हेतु कूलिंग टावरों के रिर्सकुलेशन पम्पो की संख्या व प्रत्येक की क्षमता कि०ली०/घंटा में :-

- (2) उद्योग-परिसर में आवासीय/कालोनी
10. जल आपूर्ति के स्रोतों का विवरण उद्योग में
- (क) नलकूपों की संख्या 1 + 1 (standby) L
90
- (ख) पम्प की दक्षता (प्रतिशत में) 125 KL
- (ग) विसर्जन दर कि०ली०/घंटा 50 HP
- (घ) अश्व शक्ति 95 mT
- (ङ) कुल शीर्ष 16 hrs
- (च) पम्प संचालन का समय/प्रतिदिन 422
- (छ) लागबुक यदि हो तो (छाया प्रति) की अनुमति प्राप्त है अथवा नहीं
- (ज) सेन्द्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी (CGWA) यदि हो तो कितने कि०ली०/दिन जल निष्कर्षण हेतु प्राप्त है 2100 कि० ली
11. (क) जलमापक यंत्रों की संख्या प्राप्त अनुमति की छाया प्रति संलग्न करें) 1 + 1 (standby)
- (ख) जलमापक यंत्र मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं (यदि हो तो प्रमाण संलग्न करें) हाँ (संलग्न है)
- (ग) जल मापक यंत्र का पाठयांक 58590 d. (standby 5801)
- (घ) उचित स्थान पर स्थापित है अथवा नहीं हाँ
- (रेखाचित्र संलग्न करें) हाँ
- (ङ) जल सहमति प्राप्त है अथवा नहीं हाँ
- (i) यदि हो तो कब तक वैध है। 31/12/17
- (ii) जल सहमति कितने किलो लीटर/दिन उत्प्रावह के निस्तारण हेतु निर्गत है। 1500 कि० ली/दिन
- (च) अन्य नहीं

उपरोक्त सूचनाओं के सत्यापन में उद्योग प्रतिनिधि के हस्ताक्षर (ह०) उद्योग प्रतिनिधि सील -



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ HP-3585 उपकर-1 / मेरठ/09/2017

दिनांक 5/6/17

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स आनंद डुप्लेक्स लि०, (यूनिट-11)
9 Km मेरठ-मवाना रोड,
मेरठ।

विषय:- जल उपकरण निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करें। आपके उद्योग का जल उपकरण निर्धारण दिनांक-01.06.2009 से 31.01.2017 तक की अवधि हेतु किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक-31.12.2016 को आपके उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आपके उद्योग में स्थापित 02 नलकूप प्रत्येक की क्षमता 50 एच०पी० पर वाटर मीटर स्थापित है जोकि सीलड नहीं है। स्थापित नलकूपों पर वाटर मीटरों के कैलीब्रेशन प्रमाण पत्र पूर्ण निर्धारण अवधि के प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आप द्वारा प्रतिमाह रिटर्न प्रेषित नहीं किये गये हैं। वाटर मीटरों के पाठयांक नोट करने हेतु बनाई गयी आनसाईट लॉगबुक की छायाप्रति प्रेषित नहीं की गई है। उद्योग में शुद्धिकृत उत्प्लावक को आंशिक रूप से प्रक्रिया में पुनः प्रयोग करने की व्यवस्था स्थापित करने की सूचना दी गई है, परन्तु रिसाईकिल किये शुद्धिकृत उत्प्लावक के मापन हेतु वाटर मीटर स्थापित नहीं है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूर्वानुसार जल खपत लेते हुए उद्योग का उपकरण निर्धारण किये जाने की संस्तुति की गई है। पूर्व में उद्योग का जल उपकरण निर्धारण 100 किलो लीटर/टन पेपर उत्पादन के आधार पर किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके उद्योग का जल उपकरण निर्धारण दिनांक-01.06.2009 से 31.01.2017 तक पूर्वानुसार 100 किलो/टन पेपर उत्पाद लेते हुए निम्नानुसार श्रेणीवार विभाजन के अनुसार उपकरण अधिनियम की धारा 3(2ए) के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित:-

- | | | | |
|----|----------------|---|----------------|
| 1. | श्रेणी प्रथम | - | 1160653 किली० |
| 2. | श्रेणी द्वितीय | - | 280200 किली० |
| 3. | श्रेणी तृतीय | - | शून्य |
| 4. | श्रेणी चतुर्थ | - | 22052414 किली० |

उपरोक्तानुसार उपकरण निर्धारण से असहमत होने की दशा में अपना पक्ष पर्याप्त साक्ष्यों के साथ पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की दशा में आपके उद्योग का उपकरण निर्धारण उपरोक्तानुसार जल खपत लेते हुए कर दिया जायेगा, जो आपको मान्य होगा।

भवदीय,

2/6/17

(एन०के०चौहान)

उपकरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ एवम् अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रेषित।

उपकरण अधिकारी, वृत्त-1

टी.सी. 12 वी. विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

T.C. 12 v, vibhuti khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail:info@uppcb.com
Web Site: www. uppcb. com



ANAND DUPLEX LIMITED

डाक प्राप्ति संतोष
प्राप्त दिनांक..... 20-6-17
प्राप्तकर्ता को हस्ताक्षर.....
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

GIN-09678300412

12/06/2017

To,
The Cess Officer,
Circle - 1,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
T.C.12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226010.

Ref.: Your Letter No. HO3585 Cess-1/Meerut/09/2017 dated 05/06/2017.

Sub.: Cess Assessment for the period from 01/06/2009 to 31/01/2017.

Sir,

With reference to your letter dated 05.06.2017 dispatched by your office on 06/06/2017 and received to us on 10/06/2017, with due respect this is to inform you that the company is in full compliance of the Charter for Water Recycling.

In view of the norms of the Charter, assessment of water cess on 100kl/per ton (as previously done, before applicability of the Charter), is not correct. For the purpose of assessment of water cess for the said period, our company representative will attend your office sooner as possible, with necessary proofs & evidences of use of water in manufacturing unit.

We request you to kindly consider our submission and hold the assessment proceeding till we submit the proofs.

Thanking You,
For Anand Duplex Limited, - II

(Director)

Copy to : RO, UP Pollution Control Board, Meerut.

Corres. & Regd. Office:

Office: "Alankrita", A-58, SAKET, Meerut -250001, Ph:-0121-2641315
Works: 9th Km. Mawana Road, Vill Saini Meerut (U.P) India
Email Add-anandduplex@gmail.com
Phone:-0121-2620985-2620986, Fax:-2620688

S.P 17

(257)

AE
22/6/17

NB
22/6/17

SLC
22-6-17